नेशनल लोक अदालत दिनांक : 09/12/2017

राज्य द्वारा एडीपीओ श्रीमती हेमलता आर्य। आरोपी सन्जू एवं राकेश सहित श्री टी.पी.तोमर अधि.। फरियादी/आवेदक कोमल सहित श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है।

इसी प्रास्थिति पर फरियादी/आवेदक कोमल पुत्र जीवाराम, निवासी : ग्राम सिंगवारी, जिला—भिण्ड ने उनके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर उनका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

फरियादी/आवेदक कोमल ने उसके अधिवक्ता श्री एस.एस.तोमर के साथ उपस्थित होकर अभियुक्तगण पर लगे धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अभियोग के शमन अनुमति संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 ''02'' द.प्र.स. प्रस्तुत किया।

फरियादी / आहत कोमल अभियोजित अपराध की धारा 294, 323 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। उसकी पहचान श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता द्वारा की है।

फरियादी को सुना गया। फरियादी द्वारा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण और उसके संबंध मधुर हो चुके हैं और उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष की ओर से फरियादी/आवेदक तथा आरोपीगण द्वारा हस्ताक्षरित एवं आहत के रंगीन छायाचित्र सहित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि अभियोजित नहीं है। आवेदन अस्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी प्रकरण में परिलक्षित नहीं है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकारते हुए अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा. द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन स्वीकार किया

जाता है। तदानुसार अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोजन से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए।

- 01. राजीव कुमार कांकर अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)
- 02. दिनेश चन्द्र गुर्जर अधिवक्ता (सदस्य) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> <u>जिला भिण्ड</u>